अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित है। पी.ओ. साहब स्थानान्तरण पधारे है। सो पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 6.9.18 को पेश हो।

.9/18 अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित है। पी.ओ. साहब स्थानान्तरण पधारे है। सो पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 14/11/18 को पेश हो।

14/11/18 अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित है। पी.ओ. साहब स्थानान्तरण पधारे है। सो पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 11.1.19 को पेश हो।

11/1/19 पत्रावली पेश हुई। पी. ओ. साहब स्थानान्तरण पधारे है। सो पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 6/3/19 को पेश हो।

6/3/19 पत्रावली पेश हुई। पी. ओ. साहब बा.ए.ट. पधारे है। सो पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 3/5/19 को पेश हो।

3/5/19 अभि० उभयपक्ष उप०। साक्ष्य प्रतिवादी उप० नहीं। समय चाहा सो वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दि० 25/6/19 को पेश हो।

25/6/19 पत्रावली पेश हुई। पी. ओ. साहब बा.ए.ट. पधारे है। सो पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 23/8/19 को पेश हो।

26/8/19 नियत तिथि का अवकाश हो जाने से आज पेश। साक्ष्य प्रतिवादी हेतु समय चाहा सो वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दि० 17/10/19 को पेश हो।

17/10/19 अभि० उभयपक्ष उप०। साक्ष्य प्रतिवादी उप० नहीं। समय चाहा। सो वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 21/11/19 को पेश हो।

अभि० वादी उप० नहीं। अभि० प्रतिवादी उप०। वादी व उसके अभि० को बार 2 आवाजें लगवाने पर भी उप० नहीं। सो वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म से इजलास सुनाया गया।

[illegible stamp / endorsement]

25/10/19 उपस्थित वादी उपा। प्रतिवादीगण बावजूद इत्तला के उपस्थित नहीं है। कार्यवाही एकतरफा की जावेगी। वास्ते साक्ष्य वादी दि० 13/11/19 को पेश हो।

13/11/19 उपस्थित वादी उपा। साक्ष्य वादी में वादी रामलाल, गवाह सुल्तान, गवाह मोतीलाल के बयानात कलमबन्द [illegible] आप रहे। साक्ष्य वादी बंद की गयी। पत्रावली वास्ते बहस दि० 21/11/19 को पेश हो।

रामलाल (हस्ताक्षर)
मोतीलाल (हस्ताक्षर)
सुल्तान (हस्ताक्षर)

21/11/19 उपस्थित वादी उपा। बहस समाप्त की गयी। वाद वादी का संक्षेप रूप से कथन है कि आराजी खसरा नंबर 248 रकबा 1.04 है०, 249 रकबा 0.25 है० कुल किता 2 रकबा 1.29 है० वाके मौजा साण्डला तहसील रोडा/सिंह में स्थित है जो वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की है जिसको वादीगण काश्त कर अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण का उक्त वादग्रस्त आराजियात से कोई सरोकार/वास्ता या लेना देना किसी किस्म का नहीं है। प्रतिवादीगण अपने प्रभाव के बल पर उक्त आराजियात में जबरन घुसकर कब्जा करना चाहते हैं। जबरन रास्ता निकालना चाहते हैं। इन्हें कोई अधिकार हासिल नहीं है। दिनांक 30/6/2018 को वादीगण अपने खातेदारी की उक्त आराजियात को काश्त करने गये तो प्रतिवादीगण

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आड़े फिर गये। जबरन कब्जा करने की कोशिश की। तथा बेजा मुदाखलत की धमकी दी व कहा कि वे आराजियात पर कब्जा करेंगे, तुम्हे बेदखल करेंगे, काश्त नहीं करने देंगे। आराजियात में होकर रास्ता निकालेंगे। इसलिए वाद हाजा पेश करना आवश्यक हुआ। यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया गया तो इनकी उक्त बेजा हरकतों की वजह से वादीगण को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं है। विवाद मूल दि० 30.6.2018 को उत्पन्न होने पर दावा वादीगण अन्दर मियाद पेश है। अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आ. ख. नं. 248 रकबा 1.04 है०, 249 रकबा 0.25 है० कुल किता 2 रकबा 1.29 है० वाके ग्राम साण्डला तह० रोडा/सिंह में वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी में जबरन बेजा मुदाखलत नहीं करें। जबरन आगे बढ़कर कब्जा नहीं करें। मेंड़ डोल को नहीं तोड़ें। वादीगण को काश्त करने, उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। बेदखल नहीं करें। जबरन जरीये तौर पर खातेदारी में से होकर रास्ता नहीं निकालें। वादीगण के सम्पत्तिक अधिकारों में किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचावे। बाद वादीगण पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण बावजूद इत्तला के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गयी। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी नं. 95 जमाबंदी सम्वत् 2071-74 वाके ग्राम साण्डला प्रदर्श 1, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, पेश किये तथा बयानात वादी रामलाल, गवाह मोती, गवाह सुल्तान के करवाये। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी खतौनी नं. 95 सम्वत् 2071-74 वाके ग्राम साण्डला प्रदर्श 1 के अनुसार वादीगण के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण का उक्त वादग्रस्त आराजियात से कोई लेना, सरोकार या वास्ता किसी किस्म का नहीं होना जाहिर है।	

शहादत के अमानात से जाहिर है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की इन्द्राज आराजियात मुतनाजिया में उनके कब्जे काश्त में कैजा दखल करते ही जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं है। रिकार्डेड खातेदार अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का कानूनन हकदार है। हस्तगत वाद में वादीगण वादग्रस्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के फलस्वरूप प्रतिवादीगण के विरुद्ध कानूनी रूप से हकदार है। प्रतिवादीगण भी नहीं आये ही कोई प्रतिवाद भी नहीं किया है।

लिहाजा वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे आराजी नं. 248 रकबा 1.04 हे०, 249 रकबा 0.25 हे० कुल किता 2 रकबा 1.29 हे० वाके ग्राम साण्डला तहसील रायसिंह में वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी में जबरन बेजामदाखलत नहीं करें। जबरन अवैध कब्जा नहीं करें। मेर डोल को नहीं तोड़ें। वादीगण को काश्त करने, उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। बेदखल नहीं करें। जबरन अवैध तौर पर रास्ता उक्त आराजियात में से होकर नहीं निकालें। वादीगण के सामान्य अधिकारों में किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचावें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर होकर कम हो। हुक्म आज दि० 21.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० सूरजसिंह नेगी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंह